वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24) की धारा 7 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा करने के लिए युक्तियुक्त आधार विद्यमान है, सेवा प्रदाता द्वारा किसी मनोरंजन के प्रवेश के लिए टिकटों की ऑनलाईन बुकिंग की सेवा प्रदान करने के लिए प्रभारित रकम पर उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन उद्‌गृहणीय मनोरंजन कर का दिनांक 01.08.2014 से 100 प्रतिशत परिहार इसके द्वारा इस शर्त पर करती है कि उक्त रकम पर प्रभारित या संगृहीत मनोरंजन कर की रकम राज्य सरकार को निक्षिप्त करायी जायेगी और यदि पहले से निक्षिप्त करा दी गयी है तो उसका प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-98]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957 (Act No.24 of 1957), the State Government being of the opinion that reasonable grounds exist for doing so in the public interest, hereby, with effect from 01.08.2014, remits 100% entertainment tax leviable under section 4 of the said Act, on the amount charged for rendering the service of online booking of tickets for admission to an entertainment by the service provider, on the condition that the amount of entertainment tax charged or collected on the said amount shall be deposited with the State Government and if already deposited, shall not be refunded.

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-98]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government